सं0-662 सैतीस–2–2015 30(93)05 टी.सी. 2

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊ दिनांकः 16 मार्च 2015

विषय– एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) के प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार के पत्र सं0–50–03/2015–एलडीटी(एक्यू), दिनांक–13.03.2015 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के ब्लाक शुकुल बाजार के ग्राम सारी का पुरवा में ''हाइली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएन्जा'' के आउटब्रेक होने की पुष्टि की गयी है। भारत सरकार का पत्र ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होते ही आपको मेरे द्वारा तत्काल भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित कर दिया गया था। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी इस बीमारी के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

अ0नि0(कु0)

17-03-2015

भारत सरकार द्वारा जारी किये गये संशोधित एक्शनप्लान 2012 के अनुसार हाइली पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा के आउट ब्रेक होने की स्थिति में आवश्यक दिशा निर्देश मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को अपने पत्र दिनांक 14.3.2015 में प्रसारित कर दिये गये है। आप द्वारा भी इस सम्बन्ध में निदेशालय एवं जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा होगा। ''हाइली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएन्जा'' के आउटब्रेक होने की पुष्टि से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए शासन द्वारा निम्न अपेक्षा की जा रही है:–

1. भारत सरकार द्वारा एवियन इन्फ्लुएन्जा के सम्बन्ध में जारी संशोधित एक्शन प्लान 2012 का गम्भीरता से अनुपालन निदेशालय एवं जनपद स्तर पर किया जाये।

2. एक्शन प्लान के प्रभावी कियान्वयन हेतु एवियन इन्फ्लुएन्जा से निपटने के लिये तैयारी, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु एक्शन प्लान के संलग्नक–6 में दी गई चेक लिस्ट तैयार करायी जाये।
3. चूँकि अब एवियन इन्फ्लुएन्जा आउट ब्रेक की पुष्टि हो गई है अतः एक्शन प्लान के संलग्नक–07 के अनुसार जिन बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करनी है उनका परीक्षण/मूल्यांकन कर लिया जाये।
4. सभी पशु चिकित्साधिकारियों, पैरावेट्स को इस बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रशिक्षित किया गया होगा, अतः नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्साधिकारियों एवं पैरावेट्स को ही तैनात किया जाये।
5. पोल्ट्री एवं प्रवासी पक्षियों का गहनता एवं गम्भीरता पूर्वक सर्विलांस कराया जाय। इस हेतु पोल्ट्री इकाई, पोल्ट्री (फार्म, दुकान, बाजार), प्रवासी पक्षियों के मार्ग, वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, जलाशय, अन्तराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्र का लगातार सर्वेक्षण आवश्यक है।
6. सर्वेक्षण कर विभागीय अधिकारियों द्वारा पोल्ट्री एवं प्रवासी पक्षियों के सैंपल एकत्रित कर एक्शन प्लान के संलग्नक–1 के अनुसार एच0एस0ए0डी0एल0, भोपाल तथा आर0डी0डी0एल को भेजे जाये।
7. पोल्ट्री इकाई एवं हैचरी के स्वामीयों से भी विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार सम्पर्क स्थापित किया जाय जिससे कि पक्षियों की किसी भी असामयिक बीमारी एवं मृत्यु की दशा में तत्काल सूचना विभाग को मिल सके।
8. प्रदेश के पशुपालन विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बीमारी से निबटने के लिए उनको पूर्ण रूप से एलर्ट एवं तैयार रखा जाये।
9. जनपदो में पशु चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारी उन पाकेट्स पर विशेष रूप से सतर्क दृष्टि रखें जहॉ उच्च घनत्व की पोल्ट्री इकाइयां स्थापित हैं।
10. पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क में रहें जिससे उनके वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पक्षियों की असामयिक एवं असाधारण मृत्यु के मामले में तत्काल कार्यवाही की जा सके।
11. पोल्ट्री एवं वन पक्षियों की इस बीमारी से मृत्य होने की सूचना जन सामान्य द्वारा प्रदान करने के लिए जन जागरूकता अभियान चालाया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम सभा की बैठक के साथ–साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का सहारा लिया जाए।
12. एवियन इन्फ्लुएन्जा के आउट ब्रेक हाने के बाद जिलाधिकारी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जिसका दायित्व सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण करना है। अतः आवश्यक है कि समस्त पशु चिकित्साधिकारी अपने जनपदो के जिलाधिकारी से अनुरोध कर जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक करा लें व उनसे लगातार सम्पर्क में रहें।

13. भारत सरकार द्वारा आउट ब्रेक सुनिश्चित होने की सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद जिलाधिकारी द्वारा संक्रमित क्षेत्र के सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाये एवं उसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये।
14. पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा प्राथमिक एवं क्लीनिकल परीक्षण हेतु एक्शन प्लान के संलग्नक–9 के अनुसार किट का इस्तेमाल करना होगा तथा आउट ब्रेक वाले स्थानों में संलग्नक–10 के अनुरूप किट का इस्तेमाल करना होगा।
15. आउटब्रेक की दशा में जनपद में रैपिड रिसपॉन्स टीम द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले पी0पी0ई0 किट्स, सामग्री व मशीनें की समुचित व्यवस्था जनपद स्तर पर कर ली जाये जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। इस हेतु संलग्नक:10 में दी गई सामग्री की सूची के अनुसार व्यवस्था कर ली जाये।
16. 01 किमी0 परिधि वाले क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र एवं 10किमी0 परिधि वाले क्षेत्र को सर्विलांस क्षेत्र घोषित कर एक्शन प्लान के अनुसार कार्यवाही की जाय।
17. जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पर्याप्त रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर संक्रमित क्षेत्र के पक्षियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण, कलिंग, निस्तारण एवं सैनिटेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
18. पोल्ट्री के आवागवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाये। पोल्ट्री एवं अंडे की दूकान एवं बाजार की बन्दी सुनिश्चित की जाय। संक्रमित भवन में व्यक्तियों एवं वाहनों का आवागमन नियंत्रित किया जाये।
19. संक्रमित क्षेत्र के सभी पोल्ट्री पक्षियों की कलिंग की जाये तथा सभी संक्रमित सामग्री एवं मृत पक्षियों का नियमत: निस्तारण किया जाये।
20. बैकयार्ड पोल्ट्री व कामर्शियल फार्म में भी कलिंग व निस्तारण कराया जाये।
21. एक्शन प्लान के चैप्टर–4 में दिये गये निर्देश के अनुसार पोस्ट आपरेशन सर्विलांस एवं पक्षियों के पुनः पालन की कार्यवाही की जाये।
22. भारत सरकार की नीति के अनुसार पक्षी पालकों को अनुमन्य मुआवजा दिया जाये।
23. एक्शन प्लान के चैप्टर–6 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जन जागरूकता एवं जैविक सुरक्षा के उपायों पर भी कार्यवाही की जाये।
24. भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम "The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009" के तहत भी समुचित कार्यवाही सभी स्तरों पर सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त बिन्दु मार्गदर्शक है किन्तु निदेशक एवं पशुपालन विभाग के मण्डलीय/जिला स्तरीय अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी एक्शन प्लान 2012 का गम्भीरता से अध्ययन कर समग्र रूप से अपेक्षित कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक सप्ताह अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित की जाये।

भवदीय

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव

सं0— (1) सैतीस—2—2015 तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक पशुपालन विभाग।
2 समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग।

आज्ञा से

16/03/2015
(सुरेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

कार्यालय निदेशक पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या— 29 /सारीकापुरवा अमेठी/बर्डफ्लू सर्विलेंस/14—15 दिनांक 17/3/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अपने जनपद की सभी चिकित्सा अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ उपलब्ध करा देना सुनिश्चित करें।।
2— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड—2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव पशुधन उ0प्र0 शासन लखनऊ को शासन के पत्र संख्या—662/सैतीस—2—2015—30(93)05 टी.सी—2, दिनांक 16 मार्च, 2015 के क्रम में सूचनार्थ।
4— संयुक्त सचिव, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।

18/3/15
(रूद्र प्रताप)
निदेशक।